कृषि अनुसंधान उप केन्द्र (कृषि विश्वविद्यालय ,जोधपुर)
समदड़ी- बाड़मेर, राजस्थान-344021
AGRICULTURAL RESEARCH SUB STATION(Agriculture University, Jodhpur)
Samdari- Barmer, Rajasthan- 344021
Email: arsssamdari@gmail.com

क्र.()/कृअउके/समदड़ी/स्टोर/निविदा/2019/67 दिनांक:- 09.05.2019

खुली निविदा आमंत्रण सूचना

कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर के कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, समदड़ी, बाड़मेर के द्वारा कृषको को लिये विभिन्न प्रशिक्षण/ भ्रमणं आदि कार्यक्रम बाड़मेर जिले, राजस्थान राज्य एवं राज्य के बाहर आयोजित कियें जाने है इन कार्यकर्मो के लिये वाहन उपलब्ध करवाने हेतु मुहरबन्द निविदा (अनुमानित लागत रूपये 5,00,000/- अक्षरे रूपये पाँच लाख मात्र) आमंत्रित की जाती है। इच्छुक व्यक्ति उक्त कार्य के लिए निविदा प्रपत्र शुल्क रू 500/- (अक्षरे रू. पाँच सौ मात्र) नकद जमा कर दिनांक 27.05.2019 वार सोमवार को सुबह 11:00 बजे तक कृषि अनुसंधान उप केन्द्र समदड़ी बाड़मेर के कार्यालय से प्राप्त कर सकते है। पूर्ण रूप से भरी हुई निविदा मय धरोहर राशि रूपये 10000 /-(अक्षरे रूपये दस हजार मात्र) बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक जो ऑफिसर इंचार्ज, एग्रीकल्चरल रिसर्च सब स्टेशन, समदड़ी (Officer Incharge, ARSS, Samdari) के नाम से देय हो, दिनांक 27.05.2019 वार सोमवार को दोपहर 12:15 बजे तक कृषि अनुसंधान उप केन्द्र समदड़ी बाड़मेर के कार्यालय में जमा करवा सकते हैं। निविदा उसी दिन 27.05.2019 वार सोमवार को दोपहर 1:00 बजे के बाद खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र व शर्तो को कृषि विश्वविद्यालय, की वेब साइट www.aujodhpur.ac.in अथवा राजस्थान राज्य लोकसेवा उपापन की वेब साइट http://sppp.rajasthan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। निविदा को स्वीकृत/ अस्वीकृत/ स्थगित/ निरस्त/ संशोधन आदि करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता का रहेगा।

प्रभारी अधिकारी

कृअउके, समदड़ी
निविदा प्रपत्र 04 वर्ष-2019-20

कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, समदड़ी, बाड़मेर
(कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर)

प्रशिक्षण/ भ्रमणं व अन्य कार्यकर्मों के लियें दैनिक आधार पर/ मांग पर वाहन (टैक्सी/ मालवाहक/ बस परमिट सहित) उपलब्ध करवाने हेतु निविदा (वर्ष 2019--20)

निविदा प्रपत्र क्रम संख्या	वर्ष 2019--20 / सं. 04
निविदा क्रम संख्या	क्रमांक:एफ()/कृअउके/समदड़ी/स्टोर/निविदा/2019/67 दिनांक:-09.05.2019 (~~Nib~~ UBN Code .JAU1920WSOB00015
निविदा प्रपत्र शुल्क	500 / –रूपये रसीद संख्या:..दिनांक:–.......................
निविदा वर्ष	2019–20
वाहन उपलब्ध कराने की अनुमानत अवधि	जून 2019 से मार्च 2020
अनुमानित लागत	रू. 500000 / –
निविदा प्रपत्र उपलब्ध होने की तिथि	10.05.2019 से 27.05.2019 सुबह 11.00 बजे तक
निविदा जमा कराने की अंतिम तिथि	27.05.2019 दोपहर 12.15 बजे तक
निविदा खोलने की तिथि	27.05.2019 दोपहर 01.00 बजे बाद
निविदा खोलने का स्थान	कार्यालय, कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, समदड़ी, बाड़मेर
पत्राचार हेतु पता	प्रभारी अधिकारी, कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, समदड़ी, बाड़मेर (कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर) (राज.) 344021

नोट:– धरोहर राशि कार्यालय, कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, समदड़ी, बाड़मेर में किसी भी कार्य दिवस में जमा करायी जा सकती है। धरोहर राशि दिनांक 27.05.2019 दोपहर 12.15 बजे तक ही स्वीकार की जायेगी। धरोहर राशि बैंक ड्राफ्ट/**बैंकर्स चैक** द्वारा जो कि **ऑफिसर इंचार्ज, एग्रीकल्चरल रिसर्च सब स्टेशन,** समदड़ी (Officer Incharge, ARSS, Samdari) के नाम देय हों, जमा करायी जा सकती हैं।

संलग्न:–निविदा प्रपत्र एवं आवश्यक शर्तें–

प्रभारी अधिकारी

कृअउके, समदड़ी
निविदा प्रपत्र 04 वर्ष-2019-20

कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, समदड़ी, बाड़मेर
कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर

निविदा प्रपत्र

(प्रशिक्षण/ भ्रमणं व अन्य कार्यकर्मो के लियें दैनिक आधार पर/ मांग पर वाहन (टैक्सी/ मालवाहक/ बस परमिट सहित) उपलब्ध करवाने हेतु)

निविदा प्रपत्र शुल्क रू 500 /- (अक्षरे रू. पाँच सौ मात्र) रसीद संख्या .... दिनांक ....

निविदा सूचना क्रमांक एफ./कृअउके/समदड़ी/स्टोर/निविदा/2019/67 दिनांक 09.05.2019 के तहत कृषि विश्व विद्यालय, जोधपुर के कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, समदड़ी द्वारा आयोजित प्रशिक्षण/ भ्रमणं व अन्य कार्यकर्मो में के लियें दैनिक आधार पर/ मांग पर वाहन (टैक्सी/ मालवाहक पिकअप/ बस परमिट सहित) उपलब्ध करवाने हेतु करने की निविदा प्रपत्र धरोहर राशि रू 10000 /- (अक्षरे रूपये दस हजार मात्र) बैंक ड्राफ़्ट/ बैंकर्स चेक संख्या .... दिनांक ....

निविदादाता का नाम व पूरा पता ....
....
....

दूरभाष नंबर यदि हो : .... मो. नंबर ....

क्र. सं.	टैक्सीबस/ मालवाहक / विवरण			दर (ए. सी.)	दर (नॉन ए. सी.)
1.	बोलेरों	1.	किराया 04 से 06 दिन में 600 km तक		
		2.	किराया प्रति दिन 190 km तक		
		3.	प्रति दिन 190 km एवं 04 से 06 दिन में 600 km से अधिक चलने पर प्रति km किराया		
2.	बोलेरों पिकअप 1.5 टन	1.	किराया 04 से 06 दिन में 600 km तक	आवश्यकता नहीं	
		2.	किराया प्रति दिन 190 km तक	आवश्यकता नहीं	
		3.	प्रति दिन 190 km एवं 04 से 06 दिन में 600 km से अधिक चलने पर प्रति km किराया	आवश्यकता नहीं	
3.	बोलेरों कैंपर	1.	किराया 04 से 06 दिन में 600 km तक		
		2.	किराया प्रति दिन 190 km तक		
		3.	प्रति दिन 190 km एवं 04 से 06 दिन में 600 km से अधिक चलने पर प्रति km किराया		
4.	बस 35 सीटर	1.	किराया 04 से 05 दिन में 1200 km तक	आवश्यकता नहीं	
		2.	04 से 05 दिन में 1200 km से अधिक चलने पर प्रति km किराया	आवश्यकता नहीं	
5.	बस 52 सीटर	1.	किराया 04 से 05 दिन में 1200 km तक	आवश्यकता नहीं	
		2.	04 से 05 दिन में 1200 km से अधिक चलने पर प्रति km किराया	आवश्यकता नहीं	

हस्ताक्षर निविदादाता (ठेकेदार)

कृअउके, समदड़ी
निविदा प्रपत्र 04 वर्ष-2019-20

परिशिष्ट–2

वाहन उपलब्ध करवाने हेतु निविदा की सामान्य शर्ते

(निविदा शर्तों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् ही निविदा प्रस्तुत करें)

1. निविदाता के पास गत तीन वर्षो से न्यूनतम एक वर्ष का केंद्रीय अथवा राजकीय सरकारी कार्यालय/केंद्रीय अथवा राजकीय स्वायतशासी संस्था/केन्द्रीय अथवा राजकीय विश्वविद्यालय में निविदा से संबधित कार्य किये जाने बाबत अनुभव होना अनिवार्य हैं जिसके निविदाता द्वारा निविदा के साथ सबंधित दस्तावेज संलग्न किया जाना।
2. अधिकतम मदो में न्यूनतम करदाता फर्म को प्राथमिकता दी जायेगी।
3. निवीदादाता द्वारा निविदा के साथ निविदा में उल्लेखित कार्य संबधी पंजीकरण प्रमाण किया जाना हे।
4. निविदादाता को राजस्थान परिवहन अधिनियम/नियमों के अधीन पंजीकरत वाहन उपलब्ध करवाने होंगे।
5. कार्यालय प्रभारी अधिकारी, कृषि अनुसन्धान उप केंद्र, समदड़ी बाड़मेर द्वारा वाहन मांगने पर तत्काल (3 घंटे में) उपलब्ध करवा दिया जायेगा।
6. वाहन की प्रति किलोमीटर, प्रति दिन डीजल सहित दरे देनी होगी। दरें स्पष्ट पठनीय अंको व् शब्दो की प्रति किलोमीटर, प्रति दिन डीजल सहित दरें देनी होगी। दरें स्पष्ट पठनीय अंको में बिना कांट -छांट देनी होगी। निविदा प्रपत्र के साथ रुपए 10000 /- धरोहर राशि बेंकर्स चैक/डी.डी. द्वारा `ऑफ़िसर इंचार्ज, एग्रीकल्चरल रिसर्च सब स्टेशन, समदड़ी के नाम जमा करवानी होगी।
7. अर्नेस्टमनी तथा निविदा शुल्क के आभाव में निविदा पूर्णतया निरस्त मानी जाकर उस पर विचार नहीं किया जयेगा।
8. निविदा में वांछित दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक है. किसी भी निविदा को बिना कोई कारण बतायें निरस्त करने का अधिकार प्रभारी अधिकारी कृषि अनुसन्धान उप केंद्र, समदड़ी बाड़मेर को होगा।
9. निविदा स्वीकृत होने पर 25000 /- रू. डी.डी. द्वारा प्रतिभूति राशि के रूप में ऑफ़िसर इंचार्ज, एग्रीकल्चरल रिसर्च सब स्टेशन, समदड़ी के नाम से जमा करवाने होंगे जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। तथा उक्त राशि अनुबंध के सुचारु रूप से सम्पूर्ण होने के बढ़ नियमानुसार लौटाई जावेगी। निविदा के साथ जमा कराई गई धरोहर राशि प्रतिभूति राशि में समायोजियत कर ली जावेगी।
10. सफल निविदा को नियमानुसार देय राशि के नोन - ज्यूडीशियन स्टाम्प पर 03 दिवस में अनुबंध करना होगा।
11. वाहन में किसी प्रकार की टूट फूट, चालान, चोरी तथा एक्सीडेंट होने पर उसके लिए वाहन मालिक ही उत्तरदायी होगा। प्रभारी अधिकारी, कृषि अनुसन्धान उप केंद्र, समदड़ी, बाड़मेर की इस सबंध में कोई जिम्मेदारी नहीं होगी तथा किसी भी प्रकार के मुवावजे इत्यादी की भरपाई प्रभारी अधिकारी, कृषि अनुसन्धान उप केंद्र, समदड़ी, बाड़मेर द्वारा नहीं की जाएगी।
12. वाहनों का उपयोग, कृषक भृमण, प्रशिक्षण, प्रदर्शन व कार्यालय दौरों में परिवहन हेतु राजस्थान प्रदेश से बाहर भी किया जायेगा जिसका कोई अतिरिक्त चार्ज दय नहीं होगा।
13. वहां उपयोग हेतू स्वीकृत दरों के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया जायेगा। राज्य सरकार को नियमानुसार देय समस्त प्रभार/ टैक्स/जी.स.टी./टोल टैक्स इत्यादि का भुगतान स्वंय संवेदक द्वारा किया जायेगा।

14. प्रतिदिन की दर की लिए गए वाहन हेतु 190 किमी. तक, 04 से 06 दिवस के लिए 600 किमी. तक तथा 04 से 05 दिवस के लिए 1200 किमी. तक न्यूनतम निर्धारित भुगतान किया जायेगा।
15. वाहन एंव वाहन चालक के समस्त कागजात नियमानुसार पूर्ण एंव अधतन होने चाहिय।
16. वाहन का पंजीकरण संबधित व्यय एंव ड्राइवर लाइसेंस आदि की वयवस्था संवेदक की होगी। यदि वाहन विभाग द्वारा कोई पेनल्टी लगाई जाती है तो उसके भुगतान का दायित्व निविदादाता का होगा। समस्त दस्तावेजों (वहां पंजीकरण, बिमा, रोड़ टैक्स, टोल टैक्स, ड्राइवर के लाइसेंस आदि) की प्रमाणित वाहन उपलब्ध करवाते समय कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
17. किसी भी यात्रित/परीस्थितिजन्य त्रुटि के कारण कार्यालय प्रभारी अधिकारी, कृषि अनुसन्धान उप केंद्र, समदड़ी, बाड़मेर प्रयोजनार्थ की जा रही यात्रा में यदि प्रभारी अधिकारी कृषि अनुसन्धान उप केंद्र, समदड़ी, बाड़मेर को अतिरिक्त मूल्य वाहन की व्यवस्था करने पर वहन करना होता है तो उक्त राशि फर्म के बिल में समायोजित की जावेगी।
18. अनुमोदित प्रदायक को यह सुनश्चित करना होगा की प्रत्येक वाहन प्रभारी अधिकारी, कृषि अनुसन्धान उप केंद्र, समदड़ी, बाड़मेर कार्य हेतु प्रयुक्त होना है में किलोमीटर रीडिंग दर्शाने वाला मीटर सही ढंग सर चल रहा हैं।
19. किसी स्थान विशेष की प्रभारी अधिकारी, कृषि अनुसन्धान उप केंद्र, समदड़ी, बाड़मेर प्रयोजनार्थ यात्रा में यदि किमी. रीडिंग असमान्य रूप से परवर्तित होना प्रतीत होती है तो किमी. का निर्धारण पीडब्ल्युडी/ रोड़वेज़ द्वारा प्रकाशित मानचित्र में अंकितनुसार किया जाकर भुगतान उसी अनुरूप किया जा सकेगा।
20. अनुबंध की अवधि में किसी भी संविदा विरुद्ध स्थिति फर्म द्वारा यदि उत्पन्न होती है अथवा निबंधनों तथा शर्तो को भंग करने या संविदा को असंतोष ढंग से पूरा किया जाता है जो प्रभारी अधिकारी, कृषि अनुसन्धान उप केंद्र, समदड़ी बाड़मेर को फर्म धरोहर राशि/प्रतिभूति राशि को पूर्ण अथवा अंशत: जब्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
21. निविदा सुचना प्रपत्र में संलग्न समस्त शर्तो का पालन करने की सहमति देने के प्रमाण स्वरूप निविदा प्रपत्र एवं शर्तो के समस्त पृष्ठो पर हस्ताक्षर करने हैं।
22. निविदादाता द्वारा बिल कार्य समाप्ति के 15 दिवस में प्रस्तुत करना होगा। प्रभारी अधिकारी, कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, समदड़ी द्वारा फर्म को सामान्यत: भुगतान बिल में यदि कोई कमी नहीं हैं तो बिल प्राप्त होने की तारीख से अधिकतम एक माह की अवधि (अपरिहार्य परिस्तिथि को छोड़कर) में भुगतान कर दिया जायेगा।
23. सफल निविदादाता अपनी निविदा अथवा उसके किसी भी भाग को न तो किसी अन्य एजेंसि को सौंप सकेगा एवं नहीं किसी को आगे निविदा पर दे सकेगा।
24. वाहन का पंजीकरण उपयोग की श्रेणी के अनुसार होना चाहिए।
25. बयाना राशि निम्न परिस्थितियों में जब्त कर ली जायेगी।
    (i). निविदा स्वीकृति वापस लेता है या प्रस्ताव को उपान्तरीय कर देता हैं।
    (ii). निर्धारित अवधि में करार का निष्पादन नहीं करता हैं।
    (iii). निहित समय के भीतर आपूर्ति आदेश के अनुसार वाहन उपलब्ध कराने में विफल रहता है।
26. निविदा एवं अनुबन्ध के संबंध में अन्य शर्त अन्य नियम जिसका उल्लेख ऊपर नहीं किया गया हैं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शीता नियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार होगी।

27. अन्य शर्ते /सुसंगत प्रावधान प्रयोजना में अंगीकृत बजट, कृषि विश्वविद्यालय तथा राज्य सरकार के आदेशों में यथा वर्णितानुसार लागु होंगे।
28. विवाद होने पर सिवाना/ बालोतरा के न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया जायेया।
29. इस निविदा एवं अनुबन्ध के संबंध में अन्य शर्त एवं नियम जिसका उल्लेख ऊपर नहीं किया गया हैं राजस्थान सरकार के सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के प्रावधानो के अनुसार होगी।
30. वाहन समदड़ी से किसी गंतव्य स्थान पर जाने एवं वापस आने पर यात्रा में उपयोग होने वाले ईन्धन एवं वाहन की मरम्मत संबंधी समस्त व्यय संवेदक को वहन करने होंगे एवं डीजल/टैक्स/बीमा की दरों में कमी/ वृद्धि पर दरें प्रभावित नहीं होंगी।
31. यात्रा/ माल परिवहन के दौरान वाहन चालक किसी भी प्रकार के नशे का सेवन नहीं करेगा तथा विधि एवं नियमों के विरुध्द कोई कार्य नहीं करेगा।
32. वाहन की दुर्घटना होने पर वाहन एवं अन्य किसी पक्ष की क्षतिपूर्ति के लिए केवल संवेदक उत्तरदायी होगा तथा प्रभारी अधिकारी, कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, समदड़ी की कोई जिम्मेदारी नहीं होगीं।
33. मांग पर वाहन उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में अन्य वाहन की व्यवस्था निविदादाता की जिम्मेदारी पर की जावेगी, जिसकी अंतर राशि की वसूली संवेदक से की जावेगी।
34. प्रभारी अधिकारी, कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, समदड़ी में आपूर्ति वाहन का पंजीकरण वर्ष 2014 से पूर्व का नहीं होना चाहिए।
35. इस अनुबन्ध में उत्पन्न होने वाले सभी विवादों के सम्बंद में प्रभारी अधिकारी, कृषि अनुसन्धान उप केंद्र, समदड़ी, बाड़मेर का निर्णय अंतिम होगा, जो अनुबंधकर्ता को बाध्यकारी होगा।
36. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी।
37. यह अनुबन्ध करार की दिनांक से मार्च 2020 तक मान्य होगा जो कि प्रभारी अधिकारी, कृषि अनुसंधान उप केन्द्र एवं संवेदक की परस्पर सहमति से नियमानुसार आगे बढाया जा सकता है।

प्रभारी अधिकारी

मुझे (निविदादाता) उपरोक्त समस्त शर्ते मंजूर हैं एवं में उपरोक्त शर्तो पर कार्य करने के लिए सहमत हुँ।

हस्ताक्षर निविदादाता मय शील